मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन, के अंतर्गत
सहायक कुलसचिव के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 02/2018 दिनांक 03.05.2018
उच्च शिक्षा विभाग , मध्य प्रदेश शासन

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 09.06.2018

ऑनलाइन परीक्षा की तिथि

15.07.2018

सामान्य अध्ययन	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
शिक्षा एवं प्रशासन	दोपहर पश्चात 03.00 बजे से 05:00 बजे तक

महत्वपूर्ण

1- मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन हेतु **सहायक कुलसचिव** के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है। इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है :-

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों ग्रेड/स्केल के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष उपाधि उत्तीर्ण।

2- आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जायेगे। आवेदन पत्र दिनांक 10.05.2018 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 09.06.2018 (रात्रि 12:00 बजे) **www.mponline.gov.in, www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर भरे जा सकते है । ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/ शिकायत हेतु **Mponline** के निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-

हेल्पलाइन :- 0755-4019400

3- इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु दिनांक **15.07.2018** को इंदौर, भोपाल, ग्वालियर , जबलपुर, सागर, उज्जैन तथा सतना स्थित निर्धारित केन्द्रों पर ऑनलाइन परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएगी। उक्त परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक **23.06.2018** से **13.07.2018** तक **www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर उपलब्ध होंगें । प्रवेश पत्र प्राप्ति में किसी समस्या के समाधान हेतु निम्न हेल्पलाइन नंबर/ ई-मेल पर संपर्क करें :-

दूरभाष :- **0731-2700406**
ई-मेल :- mppsconline@gmail.com

4- विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनायें, ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिये गए **E-mail Address** तथा मोबाइल नंबर पर आवश्यक होने पर **E-mail** तथा **SMS Alert** भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते, मोबाइल नंबर तथा आधार नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहे।

5- आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आये और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से **उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन**, के अंतर्गत **सहायक कुलसचिव** के पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है :-

क्र.	पद का नाम/ विभाग का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				रिक्तियों मे से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या				मध्य प्रदेश के मूल निवासी नि:शक्तजन हेतु आरक्षित पद			कुल पद	वेतनमान
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	OH	VH	HH		
द्वितीय श्रेणी														
1	**सहायक कुलसचिव** उच्च शिक्षा विभाग , मध्य प्रदेश शासन	15	5	6	3	5	2	2	1	2	0	0	29	15600-39100 + 6600 ग्रेड पे

Abbriviations:
UR- अनारक्षित, SC-अनुसूचित जाति, ST-अनुसूचित जनजाति, OBC-अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर), OH -अस्थिबाधित, VH-दृष्टिबाधित, HH-श्रवणबाधित

दो **पद का विवरण**

विभाग का नाम	:	उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन
श्रेणी	:	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
पद स्थिति	:	स्थायी
वेतनमान	:	15600-39100 + 6600 ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता अन्य भत्ते देय होगें।
कर्तव्य	:	प्रशासनिक कार्य

तीन **शैक्षणिक अर्हता** : **किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों ग्रेड/स्केल के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष उपाधि उत्तीर्ण।**

टीप- (1) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त अर्हताये ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिये आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थी विज्ञापित पदों हेतु विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।

(2) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या मे परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि ऑनलाइन परीक्षा के परिणाम के पूर्व तक की जा सकेगी । बढ़े हुये पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(3) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी।

(4) किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगें।

(5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं नि:शक्तजन हेतु आरक्षित पद केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) एवं नि:शक्तजन हेतु आरक्षित है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के एवं नि:शक्तजन रूप में मान्य है, आरक्षण हेतु पात्र नहीं है। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा की वे क्रीमी लेयर में नहीं आते।

(6) मध्य प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं नि:शक्तजन श्रेणी के अभ्यर्थी अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

चार **मध्य प्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

पांच **महत्वपूर्ण :-** यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तो को पूरा करते है। अत: आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छ: **आयु सीमा:** 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

सात **आयु संगणना तिथि** 01.01.2019

आयु सीमा में दी गयी अन्य छूटों के लिए **परिशिष्ट -1** देखें।

आठ **अधिवार्षिकी आयु :- 60 वर्ष (मध्य प्रदेश शासन द्वारा संशोधन के अध्यधीन)**

नौ **चयन प्रक्रिया :-**

(1) चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में दो प्रश्नपत्रों की ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

(2) ऑनलाइन परीक्षा में दोनों प्रश्नपत्रो में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित रिक्तियों के 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु सफल घोषित किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) तथा नि:शक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को अंकों में 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, इस प्रकार उनके लिये ऑनलाइन परीक्षा में कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(3) ऑनलाइन परीक्षा परिणाम के बाद अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों की सूक्ष्म जांच की जाएगी तथा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा जो अभिलेखों की सूक्ष्म जांच उपरांत अर्ह पाये जायेंगें। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं है किन्तु ऑनलाइन परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों का कुल योग अनारक्षित श्रेणी हेतु 40 प्रतिशत तथा आरक्षित श्रेणी (मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) तथा नि:शक्त श्रेणी) के अभ्यर्थियों हेतु 30 प्रतिशत होना आवश्यक है।

(4) साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा। साक्षात्कार के लिये अभ्यर्थियों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अर्हताधारी अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से SMS/ आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com** पर सूचित किया जायेगा ।

(5) उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के श्रेणीवार गुणानुक्रम के आधार पर होगा।

(6) आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त

अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(7) **चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि/ लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।**

दस ऑनलाइन परीक्षा परिणाम के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-

ऑनलाइन परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों और उसके आदर्श उत्तरों की कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 07 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी । इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार एवं पत्राचार नहीं किया जाएगा । **प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 100 रुपये शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क पृथक से देय होगा। आपत्ति हेतु दिया गया शुल्क आपत्ति सही पाये जाने पर नियमानुसार ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के बैंक खाते में वापस की जाएगी किन्तु पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति मे वापस नहीं किया जाएगा।**

प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1. ऐसे प्रश्न जिनका आदर्श कुंजी में गलत उत्तर दिया गया है और प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में दूसरा सही उत्तर उपलब्ध है तब आदर्श कुंजी को संशोधित किया जायेगा।
2. आपत्तियों के आधार पर निम्नलिखित अनुसार पाये गये प्रश्नों को प्रश्नपत्र से विलोपित किया जायेगा :-
   - (अ) ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में सही उत्तर न हो ।
   - (आ) ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हों।
   - (इ) जिन प्रश्नों के हिन्दी तथा अँग्रेजी अनुवाद में भिन्नता हो।

समिति द्वारा अंतिम उत्तर कुंजी तैयार की जाएगी तथा उसे आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com** पर प्रकाशित किया जायेगा। अंतिम उत्तरकुंजी पर किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें। विलोपित किए गये प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के लिए बनी अंतिम उत्तरकुंजी के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।

ऑनलाइन परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट-4 देखें।

ग्यारह ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा के केंद्र :-

कोड	शहर	कोड	शहर
01	इंदौर	05	सागर
02	भोपाल	06	उज्जैन
03	ग्वालियर	07	सतना
04	जबलपुर		

अभ्यर्थी उक्त शहरों में से उनकी अग्रमान्यता क्रम में चारों शहर केंद्र चुन सकते है। कम से कम दो शहर चुनना अनिवार्य होगा। यह आवश्यक नहीं है कि अभ्यर्थी द्वारा चयनित अग्रमान्यता अनुसार ही शहर आवंटित किए जाये। आयोग प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से चयनित अग्रमान्यता क्रम से अलग परीक्षा शहर केंद्र आवंटित कर सकता है तथा परीक्षा केन्द्रों की संख्या कम या अधिक कर सकता है।

प्रश्नपत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि के संदर्भ में अभ्यर्थी परीक्षा तिथि के 07 दिवस के अंदर ऑनलाइन अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। उक्त अवधि के बाद प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

बारह प्रवेश-पत्र प्राप्ति प्रक्रिया :- ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक **23.06.2018** से **13.07.2018** तक आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.gov.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर उपलब्ध रहेंगें । अर्हताधारी अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि की प्रविष्टि कर उक्त वेबसाइट्स से प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकेंगें। प्रवेश पत्र अन्य किसी भी विधि से आयोग द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जायेंगें।

फोटो पहचान-पत्र :- ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र के साथ निम्न में से कोई एक मूल फोटो पहचान-पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। फोटो परिचय-पत्र से अभ्यर्थी के पहचान की पुष्टि होने पर ही उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।

1	पासपोर्ट	6. शासकीय सेवक के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र
2	मतदाता पहचान पत्र	7 बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक
3	ड्रायविंग लायसेंस	8 शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक जारी परिचय पत्र
4	पैन कार्ड	9 राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय-पत्र
5	आधार कार्ड	

तेरह **आवेदन प्रक्रिया :-** उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किये जा सकेगें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु **परिशिष्ट -2** का अवलोकन करें।

चौदह अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई. डी. पर ही आयोग द्वारा आवश्यक पत्र व्यवहार किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी का वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई. डी. परिवर्तित होता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को चाहिये कि वह अविलंब नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई. डी. की सूचना आयोग को लिखित में प्रस्तुत करे। अभ्यर्थी द्वारा वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई. डी. परिवर्तन की स्थिति में नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई. डी. की सूचना न देने पर आवश्यक पत्र-व्यवहार पुराने वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. पर किया जायेगा जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

पंद्रह अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देंखें :-

(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट -1**

(ii) आवेदन पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट -2**

(iii) ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में निर्देश **परिशिष्ट-3**

(iv) ऑनलाइन परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम **परिशिष्ट-4**

सचिव

(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें

(1) **उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन**, के पत्र क्रमांक 323/2030/2018/38-3 दिनांक 10.04.2018 द्वारा निर्धारित विभिन्न श्रेणियों हेतु अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार है:-

क्रमांक	आवेदक	मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए आयु सीमा (वर्ष में)	मध्य प्रदेश के बाहर के आवेदकों के लिए आयु सीमा (वर्ष में)
1.	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40	40
2.	पुरुष आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45	40
3.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	45	40
4.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग- शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45	40
5.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45	40
6.	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग- शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45	40
7.	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	45	40
8.	नि:शक्तजन श्रेणी हेतु	45	40

(2) **सहायक कुल सचिव** हेतु न्यूनतम 40 प्रतिशत या अधिक अस्थिबाधित नि:शक्त अभ्यर्थी आरक्षण एवं छूटों के पात्र है।

(3) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

स्पष्टीकरण :-

भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाडियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

टीप :- (1) **परिशिष्ट-1 (दो)** के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/ योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों मे से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, नि:शक्तजन तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के

अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगें।

(सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट :-	**(01)**	**उपरोक्त परिशिष्ट -1 (एक) (1 से 3) (दो) (1 से 2) में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।**
	(02)	**अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुये भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगें।**

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1- **सहायक कुलसचिव परीक्षा -2018** के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

1- उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे

1. www.mppsc.nic.in
2. www.mppscdemo.in
3. www.mppsc.com

3- अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/ परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते है। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते है।

4- अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपनी अर्हता से संबन्धित सभी अभिलेख तथा अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की एवं हस्ताक्षर की स्केन फाइले तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट है।

5- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिये कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

6- आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन पत्र submit करने के पूर्व अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

7- आवेदन पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगें। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमे उसके आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा ।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन पत्र submit होने के बाद "proceed for payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

8- त्रुटि सुधार सुविधा :- अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 15.05.2018 से 11.06.2018 तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा। अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क 1200 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 600 निर्धारित है अत: आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपये 600 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेंदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक/ नि:शक्तता) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है । अत: त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा ।

9- अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें की उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

2 परीक्षा तथा आवेदन शुल्क

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) तथा नि:शक्तजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
रु. 600/-	**रु.1200/-**
उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त निम्नानुसार पोर्टल शुल्क देय होगा :-	
कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने पर	रु. 150 (**GST** सहित)
स्वयं द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने पर	रु. 100 (**GST** सहित)
• **शुल्क वापसी:-** अपरिहार्य कारणों से विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति मे अभ्यर्थियों से ऑनलाइन शुल्क वापसी आवेदन प्राप्त कर आवेदन शुल्क की राशि वापस की जाएगी किन्तु पोर्टल शुल्क की राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी।	

3 **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि**

(अ) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि <u>09.06.2018</u> है। अंतिम तिथि को रात्रि **12:00** बजे के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी।

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/ शिकायत हेतु Mponline **निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-**

हेल्पलाइन :- 0755-4019400

4 **अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-**

<u>आयु संबंधी प्रमाण के लिए :-</u> केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/ प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

<u>शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :-</u> हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/ सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

<u>शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :-</u> यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

<u>नि:शक्तता प्रमाण-पत्र :-</u> नि:शक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी नि:शक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। **सहायक कुल सचिव हेतु न्यूनतम 40 प्रतिशत या अधिक अस्थिबाधित नि:शक्त अभ्यर्थी आरक्षण तथा आयु सीमा में छूटों के पात्र है।**

<u>जाति के प्रमाण-पत्र :-</u> अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्य प्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत है द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये उसे नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जायेगा। विवाहित महिलायें विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा |

<u>अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमी लेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगें।</u> इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं ---------------------- आयोग के विज्ञापन क्रमांक **02/2018 दिनांक** 03.05.2018 के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/ रही हूं। मै निम्नानुसार घोषणा करता/ करती हूं:-

1. मै ------------------पुत्र/पुत्री श्री-------------------- निवासी ग्राम/कस्बा/ शहर/-------------जिला -------------,मध्य प्रदेश का/की मूल निवासी हूं। यह घोषणा करता/ करती हूं कि मै ----------------जाति का/की सदस्य हूं जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।

2. मै शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7-28/2009/आ.प्र./एक , भोपाल, दिनांक 02 नवंबर 2017 में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मै सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/ आती हूं।

दिनांक :- ----------------

हस्ताक्षर-----------------

नाम----------------------

(उक्त घोषणा-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें)

शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/ सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

<u>परिशिष्ट</u> -1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

<u>परिशिष्ट</u> -1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5 जो अभ्यर्थी पहले से शासकीय सेवा में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमे आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह अभिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिये कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

6 **अनुशासनिक निर्देश :-**

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

02 प्रतिरूपण किया हो; या

03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हो, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

05 ऐसे कथन दिये हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या

06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हों; या

07 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हों या करने का प्रयास किया हों; या

08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हों या धमकाया हों या शारीरिक क्षति पहुंचाई हों; या

09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दिये गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमे परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिये गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हों; या

10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

<u>तब आयोग द्वारा :-</u>

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहरा सकेगा
और/ या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उसपर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7- **अनर्हतायें:-** ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जायेगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8- **लिखित परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-**

01 परीक्षा का परिणाम केवल "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित किया जायेगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जायेगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जायेगा।

02 परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अत: सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर तदनुसार निर्धारित तिथि को साक्षात्कार हेतु उपस्थित हों।

9- **यात्रा व्यय का भुगतान :-**

(अ) मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमी लेयर) श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो कही सेवारत न हों, को ऑनलाइन परीक्षा परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।

(ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमी लेयर) के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराये की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो ।

(द) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के **IFSC Code** का उल्लेख करना तथा तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की स्केन प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(इ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुने।

(फ) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

ऑनलाईन परीक्षा के संबंध में निर्देश

ऑनलाईन परीक्षा के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है-:

परीक्षा पूर्व निर्देश

01 परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in अथवा www.mppsc.com में निर्धारित लिंक पर आवेदन पत्र क्रमांक एवं जन्मतिथि की प्रविष्टि कर ऑनलाईन प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र क्रमांक गुम गया है तो वे ऑनलाईन रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर, नाम एवं जन्मतिथि डालकर OTP (One Time Password)/ टोल फ्री नम्बर (आयोग द्वारा जारी)/ वेबसाइट पर उपलब्ध know your application number लिंक से प्राप्त कर सकते है।

02 परीक्षा हेतु रजिस्टर्ड आवेदकों को उनके द्वारा चुने गये विकल्प (शहर) के आधार पर रेण्डम विधि से रोल नम्बर प्रदाय किये जावेंगे ।

03 परीक्षार्थियों हेतु निम्न हेल्प लाईन तथा ई-मेल के द्वारा हेल्प डेस्क पर की गई पूछताछ की समुचित व्यवस्था की जाएगी:-

हेल्प लाईन नम्बर- 0731-2700406
ई-मेल- mppsconline@gmail.com

04 आयोग की वैबसाईट पर मॉक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई । अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि की प्रविष्टि कर उक्त सुविधा के माध्यम से ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली से अपने आप को प्रशिक्षित कर सकेगा ।

05 परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के 01:30 घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुंचना आवश्यक है, ताकि उनकी प्रवेश संबंधी आवश्यक कार्यवाही समय रहते की जा सके ।

06 परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रानिक उपकरण एवं अन्य अनावश्यक सामग्री साथ में नहीं लावे तथा अपने हथेलियों पर किसी प्रकार का रंग, स्याही अथवा मेंहदी न लगी हो, क्योंकि इस कारण बायोमेट्रिक दर्ज नहीं हो पाता है ।

07 ऐसे नि:शक्तजन जो दोनों हाथों से लिखने में असमर्थ है उन्हें में 20 मिनट प्रतिघन्टा अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा तथा सहलेखक के उपयोग की अनुमति प्रदान की जाएगी। इस संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

अ उक्त श्रेणी के केवल ऐसे नि:शक्तजन को अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा जो सहलेखक का प्रयोग करेंगें ।

आ सहलेखक की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वंय करनी होगी। आयोग द्वारा सहलेखक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

इ सहलेखक की शैक्षणिक अर्हता स्नातक से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी को उसके सहलेखक का मूल फोटो युक्त मान्य परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
(मान्य परिचय-पत्र सूची हेतु देखें परिशिष्ट-2 बिन्दु -7 (5))

ई सह लेखक को किसी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा मानदेय का भुगतान आयोग द्वारा नहीं किया जाएगा।

उ सहलेखक के प्रयोग की अनुमति केंद्राध्यक्ष द्वारा दी जाएगी इस हेतु अभ्यर्थी पर्याप्त समय पूर्व केंद्राध्यक्ष से संपर्क करें।

ऊ सहलेखक सुविधा की अनुमति हेतु अभ्यर्थी को जिला चिकित्सा-मण्डल/ सम्भागीय चिकित्सा-मण्डल/ राज्य चिकित्सा-मण्डल द्वारा जारी नि:शक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

08 परीक्षार्थी के परीक्षा केन्द्र पर पहुंचने पर रजिस्ट्रेशन डेस्क पर परीक्षार्थी के मूल फोटो परिचय पत्र, एडमिट कार्ड, एवं फोटो की जांच प्रवेश पत्र एवं परीक्षार्थी के साथ मिलान किया जायेगा । तत्पश्चात बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (दाएं हाथ का अंगूठा, दाएं हाथ का अंगूठा न होने पर बायें हाथ का अंगूठा एवं दोनों अंगूठे न होने पर बायें/दाएं हाथ की प्रथम उंगली एवं दोनों हाथ न होने की स्थिति में सहलेखक के अंगूठे का वेरिफिकेशन किया जावेगा ।

09 परीक्षा कक्ष में प्रवेश के पूर्व पुलिस द्वारा तलाशी (Frisking) की जावेगी । जिससे कि परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार की वर्जित वस्तुऐं अन्दर न ले जा सके ।

परीक्षा हेतु वर्जित वस्तुयें

सामान्यत: ऑनलाइन परीक्षाओं में ऐसा पाया गया है कि परीक्षार्थी अपने कपड़ों, कफ़लिंक, चश्मा, जूते-मोजे, हाथ के बैंड/हाथ में बंधे बंधन इत्यादि में नाना प्रकार के इलेक्ट्रानिक डिवाइस का प्रयोग करते है। अत: परीक्षा कक्ष में जूते-मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षार्थी चप्पल व सेण्डल पहनकर आ सकते हैं। चेहरे को ढककर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा। एसेसरीज़ जैसे बालों को बांधने का क्लचर/ बक्कल, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले किसी भी प्रकार के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप में पहने जाने वाले चश्में, पर्स/वालेट, टोपी वर्जित है। सिर, नाक, कान, गला, हाथ-पैर, कमर आदि में पहने जाने वाले सभी प्रकार के आभूषण तथा हाथ में बंधे धागे/ कलावा/ रक्षा सूत्र आदि का सूक्ष्मता से परीक्षण कर वीक्षकों द्वारा परीक्षार्थी के कक्ष में जाने के पूर्व तलाशी ली जाएगी।

10 आयोग द्वारा निम्न फोटो आई-डी कार्ड मान्य किये गये है, इनमें से किसी एक की मूल प्रति साथ में लाना आवश्यक होगा । फोटो आई-डी की फोटोकापी मान्य नहीं की जावेगी।

1. मतदाता परिचय पत्र
2. आधार कार्ड
3. ड्राईविंग लायसेंस
4. पेन कार्ड
5. पासपोर्ट
6. फ़ोटो सहित बैंक पासबुक
7. केन्द्र एवं राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं अन्य नियोक्ताओं द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र ।
8. शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के मामले में शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र ।
9. अभ्यर्थी का राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो ।

उपरोक्त के अभाव में परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा ।

ऑनलाइन परीक्षा की मुख्य विशेषतायें

11 सम्पूर्ण परीक्षा व्यवस्था सी.सी.टी.वी कैमरों की निगरानी में संचालित की जावेगी ।

12 आयोग द्वारा परीक्षार्थी को केन्द्र पर रफ कार्य किये जाने हेतु पेपर एवं पेन की सुविधा प्रदान की जावेगी। रफ कार्य किये जाने हेतु प्रदत्त पेपर परीक्षा समाप्ति पश्चात् परीक्षा कक्ष में छोड़कर जाना होगा ।

13 रजिस्ट्रेशन एवं वेरिफिकेशन के पश्चात् परीक्षार्थी को रूम नम्बर एवं सीट नम्बर अलाट किये जावेगे।

14 ऑनलाईन परीक्षा हेतु सभी केन्द्रों पर आयोग द्वारा केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक एवं तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त किये गये है जो प्रश्नपत्र को आयोग से सुरक्षितरूप में प्राप्त कर केन्द्रों पर परीक्षार्थी के कम्प्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध करायेंगे।

15 परीक्षार्थी को जो मशीन आवंटित की गई है, उस पर सीट नम्बर, मशीन नम्बर, आई.पी एड्रेस, एवं कंम्प्यूटर स्क्रीन पर स्वयं का फोटो है, यह सुनिश्चित कर सीट पर बैठे ।

16 परीक्षार्थी अपने रोल नम्बर एवं प्रवेश-पत्र पर अंकित पासवर्ड द्वारा लाग-इन कर सकेंगे ।

17 परीक्षार्थी द्वारा लाग-इन करने के पश्चात् स्क्रीन पर Instruction page, Symbol page display होगा ।

18 परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व परीक्षार्थी के स्क्रीन पर 05 प्रश्न दिये जावेंगे जो आवेदक द्वारा हल किये जावेगे तत्पश्चात स्क्रीन पर माडल आंसर उपलब्ध होगा जिससे परीक्षार्थी अपने उत्तर चेक कर सकेगा । उक्त प्रक्रिया को परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व अधिकतम 03 बार दोहराया जा सकेगा, जिससे परीक्षार्थी स्वयं यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उसके कम्प्यूटर का माउस उसके द्वारा चाहे गये विकल्प पर ही क्लिक हो रहा है। उक्त प्रक्रिया में यदि किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न होती है तो वह कक्ष में उपस्थित वीक्षक/तकनीकी सहायक को उक्त संबंध में अवगत कराएगे, जिससे वीक्षक द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जा सके ।

19 परीक्षा के दौरान वीक्षक द्वारा उपस्थिति पत्रक पर परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान लिये जावेंगे तथा वीक्षक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थी उसी मशीन पर परीक्षा दे रहा है जो उसे आवंटित की गई है ।

20 प्रत्येक परीक्षार्थी का सत्यापन वेरिफिकेशन शीट के आधार पर बाये/दाये हाथ पर बैठे परीक्षार्थी द्वारा किया जावेगा कि बैठा हुआ परीक्षार्थी उसे आवंटित की गई मशीन पर ही पूरे समय बैठकर परीक्षा दे रहा था ।

21 परीक्षार्थी अपनी सुविधानुसार प्रश्नों को हल कर सकेंगे एवं समय संबंधी अलार्म परीक्षा प्रारंभ होने पर, परीक्षा प्रारंभ होने के 01:00 घण्टे पश्चात, 01:30 घण्टे पश्चात परीक्षा समाप्ति के 10:00 मिनट पूर्व तथा अंतिम अलार्म बजेगा. परीक्षा समाप्ति पर बजेगा ।

22 परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु निर्धारित समय में हल किये गये प्रश्नो के उत्तरों को बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिससे वह चाहे गये प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय में बदल सकेगा ।

23 परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग किये जाने पर वीक्षक द्वारा तत्काल प्रकरण तैयार कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, प्रकरण तैयार किये जाने के पश्चात् भी यदि परीक्षार्थी पुनः परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है तो उसे उक्त परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदाय की जा सकेगी, किन्तु यदि परीक्षार्थी आदेश का पालन नहीं करता है तो उसकी परीक्षा निरस्त की जायेगी । उक्त समस्त प्रकरण पर अंतिम निर्णय आयोग द्वारा लिया जावेगा ।

24 यदि परीक्षार्थी हल किये गये उत्तरों को समय समाप्ति के पूर्व सबमिट नहीं करता है तो मशीन स्वतः ही समय समाप्ति पर उत्तरों को सबमिट कर बन्द हो जावेगी।

<u>परीक्षा पश्चात की कार्य प्रक्रिया</u>

25 अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति पश्चात् हल किये गये प्रश्नों के उत्तरों का P.D.F. Form में पुनः अवलोकन कर सकेंगे। अवलोकन किये जाने हेतु 05 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जावेगा जिसके अंतर्गत वे हल किये गये उत्तरों में किसी का बदलाव नहीं कर सकेंगे ।

26 मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रवेश पत्र पर अंकित पते से परीक्षा केन्द्र शहर तक का यात्रा भत्ते का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से किया जायेगा;
इस हेतु अभ्यर्थियों को वांछित घोषणा-पत्र तथा निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है:-

- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की फोटो कापी
- यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा का विवरण तथा राशि का स्पष्ट उल्लेख हो जाति प्रमाण पत्र की फोटो कापी जमा करने पर ही प्रदान किया जायेगा ।

27 परीक्षा समाप्ति पश्चात् हल किये गये प्रश्नों एवं दिये गये उत्तरों की उत्तरपुस्तिका एवं प्रावधिक उत्तर कुंजी अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड ई-मेल आई-डी पर भेजी जावेगी ।

28 प्रावधिक उत्तर परीक्षोपरान्त आयोग की वैब साईट पर उपलब्ध रहेंगे ।

29 परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की माडल उत्तर कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट **<u>www.mppsc.nic.in</u>** तथा **<u>www.mppsc.com</u>** पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 07 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी । इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार एवं पत्राचार नहीं किया जाएगा । प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 100 रुपये शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क पृथक से देय होगा। आपत्ति हेतु दिया गया शुल्क आपत्ति के सही पाये जाने पर अभ्यर्थी के बैक खाते में ऑनलाइन पद्धति से वापस किया जाएगा । पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति मे वापस नहीं किया जाएगा।
प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जायेगा। समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1. ऐसे प्रश्न जिनका मॉडल कुंजी में गलत उत्तर दिया गया है और प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में दूसरा सही उत्तर उपलब्ध है तब मॉडल कुंजी को संशोधित किया जायेगा।
2. आपत्तियों के आधार पर निम्नलिखित अनुसार पाये गये प्रश्नों को प्रश्नपत्र से विलोपित किया जायेगा:-
   ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में सही उत्तर न हो ।
   ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हों।
   प्रश्न के हिन्दी तथा अँग्रेजी अनुवाद मे भिन्नता हो
3. विषय विशेषज्ञों द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट **<u>www.mppsc.nic.in</u>** तथा **<u>www.mppsc.com</u>** पर प्रकाशित की जाएगी ।
4. उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गये प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर प्रारम्भिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।

सहायक कुलसचिव परीक्षा -2018
परीक्षा योजना

सहायक कुलसचिव परीक्षा 2018 निम्नानुसार दो चरणों में सम्पन्न होगी :-

(अ) लिखित परीक्षा (ऑनलाइन पद्धति से)

(ब) साक्षात्कार

(अ) लिखित परीक्षा:- लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो प्रश्न-पत्र होंगें, प्रश्न-पत्र 450 अंकों के होंगें।

प्रश्न-पत्र	विषय	अवधि	अंक
प्रथम प्रश्नपत्र	सामान्य अध्ययन	2 घंटे	150 अंक
द्वितीय प्रश्न-पत्र	शिक्षा एवं प्रशासन	2 घंटे	300 अंक

(i) दोनों प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार (ओबजेक्टिव टाईप) के होंगे (बहुविकल्प प्रश्न) प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर **A,B,C,D** में समूहीकृत किया जाएगा जिनमें से केवल एक सही होगा।

(ii) सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगे प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा।

(iii) शिक्षा एवं प्रशासन के प्रश्न-पत्र में 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 02 अंकों का होगा।

(iv) प्रत्येक प्रश्न पत्र की अवधि दो घंटे की होगी।

(v) प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे।

टीप-

(i) अनारक्षित उम्मीदवारों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 40 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग(गैर क्रीमी लेयर) एवं नि:शक्तजन के उम्मीदवारों को 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य हैं।

(ii) अंको की मेरिट के क्रमानुसार प्रत्येक श्रेणी की रिक्तियों के 03 गुना + समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाएँगे।

(ब) साक्षात्कार परीक्षा हेतु 50 अंक निर्धारित है, इसके लिये कोई अर्हकारी न्यूनतम अंक नहीं होंगे, किन्तु उम्मीदवार का लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों का कुल योग अनारक्षित श्रेणी हेतु 40 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग (अनु.जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग(गैर क्रीमी लेयर) एवं नि:शक्तजन) के लिए 30 प्रतिशत होना आवश्यक है।

टीप-1:- अंतिम चयन परिणाम लिखित परीक्षा में प्राप्तांक + साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर मेरिट क्रमानुसार श्रेणीवार तैयार किया जाएगा।

टीप-2:- साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदक चयन के लिए पात्र नहीं होंगें।

***

परीक्षा नियंत्रक

सहायक कुल सचिव के पद हेतु लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम

प्रथम प्रश्न पत्र : सामान्य अध्ययन

1. सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण :

सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण, विज्ञान की समालोचना एवं सामान्य समझ जिसमें दैनंदिन (रोजमर्रा) अवलोकन एवं अनुभव जो किसी भी शिक्षित व्यक्ति द्वारा अपेक्षित है और जिन्होंने इन विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया हो।

2. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएँ :

वर्तमान घटनाओं में प्रमुख राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का ज्ञान।

3. भारत का इतिहास एवं स्वतंत्र भारत :

सामाजिक, अर्थ व्यवस्था एवं राजनीति से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं स्वतंत्र भारत का विकास।

4. (क) भारत का भूगोल :

भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल का सामान्य ज्ञान। भारतीय कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन, भारतीय जनांकिकीय एवं जनगणना।

(ख) विश्व की सामान्य भौगोलिक जानकारी।

5. भारतीय राजनीति एवं अर्थ व्यवस्था :

भारत की राजनैतिक व्यवस्था एवं संविधान, पंचायती राज, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक विकास, चुनाव एवं राजनीतिक दल, योजनाएँ, औद्योगिक विकास, विदेश व्यापार, आर्थिक एवं वित्तीय संस्थाएँ।

6. खेलकूद :

मध्यप्रदेश, भारत, एशिया एवं विश्व के प्रमुख खेलकूद एवं खेल प्रतियोगिताएँ, पुरस्कार तथा प्रसिद्ध व्यक्ति।

7. मध्यप्रदेश का भूगोल एवं इतिहास तथा संस्कृति :

मध्यप्रदेश के पर्वत, नदियाँ, जलवायु, वनस्पतियाँ, जीवजन्तु, खनिज एवं परिवहन। मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध राजवंश, जनजातियाँ, कला, स्थापत्य कला, ललित कलाओं एवं ऐतिहासिक व्यक्ति।

8. मध्यप्रदेश की राजनीति एवं अर्थ व्यवस्था :

प्रदेश की राजनैतिक व्यवस्था, राजनीतिक दल, चुनाव, पंचायती राज, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक विकास। उद्योग, योजनाएँ, आर्थिक कार्यक्रम, व्यापार, मध्यप्रदेश की जनांकिकीय एवं जनगणंना।

9. सामान्य मानसिक योग्यता :

संख्यात्मक योग्यता, तर्क, कूट, आंकड़ों का विश्लेषण एवं निष्कर्ष तथा सादृश्य, अनुरुपता, समानुपात।

10. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी :

अभिलक्षण, प्रयोग और शब्दावली:— जैसे— ऑनलाईन, वेबसाईट, सर्च इंजिन, ई—मेल, विडियो मेल, चेटिंग, विडियो कान्फ्रेन्स, हेकिंग, क्रेकिंग, वायरस और सायबर अपराध।

***

Written Examination for the Post of Assistant Registrar
First Paper : General Studies

1. **General Science and Environment** :

Questions on general science and Environment will cover general appreciation and understanding of science including matters of everyday observation and experience as may be expected by well educated person who has not made a special study.

2. **Current Events of National & International Importance** :

In current events knowledge of significant National and International level.

3. **History of India and Independent India** :

Questions of general knowledge related to history, social, economic, political aspects, Indian national movement and development of independent India.

4. (a) **Geography of India** :

General knowledge relating physical, social and economic geography. Indian Agriculture and Natural resources. Demography and census of India.

(b) General Geographical awareness of world.

5. **Indian Polity and Economy :**

Political system and constitutiation of the India, Panchayati Raj, social system, economic development, elections, political parties, plans, industrial development, foreign trade and economic and financial institutions.

6. **Sports :**

Important games and sports tournaments, Awards and famous personalaties related with M.P., India, Asia and World.

7. **Geography, History and Culture of M.P. :**

Mountains, rivers, climate, Flora and Fauna, Minerals transportation in M.P. Important dynasties of M.P., Tribals, Arts, Architecture, Fine Arts and Historical personalities of M.P.

8. **Polity and Economy of M.P. :**

Political system, Political Parties and elections, Panchayati Raj, Social system and economic development of M.P.. Industry, Plans, Economic programmes, business, demography and census of M.P.

9. **General Mental Ability :**

Numerical ability, reasoning, coding, data analysis and interpretation and analogy.

10. **Information and Communication Technology :**

Characteristics, uses and terminologies such as online, website, search engine, e-mail, video mail, chatting, video conferencing, hacking, cracking, virus and cyber crime.

***

प्रश्न पत्र–द्वितीय
विश्वविद्यालय शिक्षा एवं प्रशासन

1) अध्ययन बोध

(a) हिन्दी में एक गद्यांश दिया जायेगा जिस पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जायेगें।

(b) अंग्रेजी में एक गद्यांश दिया जायेगा जिस पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जायेगें।

2) संचार

संचार : प्रकृति, विशिष्टताएं, प्रकार, अवरोध एवं प्रभावी संचार।

3) उच्चशिक्षा

(a) उच्चशिक्षा का ढांचा एवं प्रकार।

(b) निम्नांकित का प्रशासनिक ढांचा, उद्देश्य, उत्तरदायित्व एवं कार्यक्रम।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली, अखिल भारतीय तकनीकि शिक्षा परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, बार कौंसिल ऑफ इंडिया,

(c) मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा इससे संबंधित इकाइयों यथा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नालॉजी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, आदि के उददेश्य एवं कार्यक्रम।

(d) यूनाइटेड नेशंस एजूकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑरगनाईजेशन, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, यूनिसेफ, एशियन डेव्लपमेंट बैंक, विश्व बैंक आदि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं/संगठनों के उद्देश्य, उत्तरदायित्व एवं कार्यक्रम।

4) सामान्य प्रशासन

(a) केन्द्र एवं राज्य प्रशासन में संबंध।

(b) राज्यपाल, मुख्य मंत्री, मंत्री परिषद्।

(c) आयुक्त, जिलाधीश एवं तहसीलदार की भूमिका।

(d) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का संगठन एवं कार्य, भर्ती एवं प्रशिक्षण।

(e) उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण की अवधारणा, प्रशासन पर विधायी, कार्यपालिक एवं न्यायिक नियंत्रण।

(f) नागरिक एवं प्रशासन, जन सहभागिता, सूचना का अधिकार, अधिनियम–2005

(g) शिकायतों के निवारण की मशीनरी। निष्ठा, आचार संहिता, शिकायत निवारण अधिकारी (OMBUDSMAN)

5) शैक्षणिक प्रशासन

(a) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 – इसके अंतर्गत परिनियम, विनियम, एवं अध्यादेश।

(b) मध्यप्रदेश, उच्च शिक्षा का प्रशासन, गठन, उद्देश्य एवं कार्यक्रम। इसका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशंस एजूकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑरगनाईजेशन, यूनिसेफ, विश्व बैंक, एशियन डेव्लपमेंट बैंक, एम0पी0 काउंसिल ऑफ सांईस एंड टेक्नालॉजी, काउंसिल फॉर सांईटिफिक एंड इन्डस्ट्रियल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, डॉयलेटिकल विहेवियर थेरॉपी एवं सूचना एवं तकनीकी विभाग आदि से संबंध व सम्पर्क।

(c) विश्वविद्यालय की प्रशासकीय व्यवस्था :

(i) विश्वविद्यालय के विभिन्न अधिकारी एवं अथारिटी तथा उनकी भूमिका व कार्य। विभिन्न समितियों की भूमिका व कार्य : यथा समन्वय समिति, कार्य परिषद, आकादमिक परिषद् एवं उसकी स्थायी समिति, अध्ययन मंडल, परीक्षा समिति, परीक्षा परिणाम समिति एवं शोध डिग्री समिति।

(ii) विश्वविद्यालय प्रशासन एवं लेखा में कम्प्यूटर का उपयोग। पेपर रहित कार्यालय, e–गवर्नेन्स, e–कामर्स की अवधारणा। टैली की चेतना/बोध।

6) वित्त एवं बजट

(a) वित्तः– वित्तीय प्रशासन की अवधारणा एवं महत्व, वित्तीय नियंत्रण, लोक लेखा समिति, लेखा एवं लेखा परीक्षण, स्थानीय वरिष्ठ अंकेक्षक, (कॉरपस) निकाय निधी, संधारण–अनुदान, वार्षिक प्रतिवेदन, तकनीकी शब्दावली का ज्ञान, उदाहरणार्थ रोकड़ वही, देयक, प्रमाणक (वाउचर) इत्यादि।

(b) बजटः– बजट अवधारणायें एवं प्रकार, बजट निर्माण एवं क्रियान्वयन, बजट बनाने की प्रक्रिया एवं उसकी भूमिका। निष्पादन बजट, बजट पर बहस, लोक ऋण।

***

PAPER-II
UNIVERSITY EDUCATION AND ADMINISTRATION

(1) **Reading Comprehension**

(a) A passage will be set in Hindi. Multiple Choice questions based on the passage will be asked.

(2) **Communication**

Communication : Nature, Characteristics, Types, Barriers and Effective communication.

(3) **Higher Education**

(a) Structure and Modes of Higher Education.

(b) Administrative Structure, Objectives, responsibilities and Programmes of UGC, New Delhi, AICTE, MCI, NCTE, and Bar Council of India

(c) MHRD and its associated units, like, DST, DBT, NIC etc.: objectives and Programmes.

(d) International bodies like, UNESCO, COL, UNICEF, ADB, WB etc: their objective and Programmes.

(4) **General Administration**

(a) Relationship between Central and State Administration.

(b) Governor, Chief minister, Council of Ministers.

(c) Roles of Commissioner, District Collector and Tehsildar

(d) Organization and functions of Madhya Pradesh Public Service Commission, Recruitment and Training.

(e) Concept of Accountability and Control, Legislative, Executive and Judicial control over Administration

(f) Citizen and Administration, Peoples participation, Right to Information Act 2005.

(g) Machinery for redressal of Citizen's grivances, Integrity and Code of Conduct, Ombudsman.

(5) **Educational Administration**

(a) M.P. University Act. 1973- Statutes, Regulations and Ordinances under the Act.

(b) Administration of Higher Education of M.P. : Structure, Objectives, Programmes- It's relation and linkage with bodies, like, UGC, NCTE, AICTE, UNESCO, UNICEF, WB, ADB M. P. Council of Science & Technology, Council for Scientific and Industrial Research, Indian Council of Agricultural Research, Dialectical Behavior Therapy, Department of Science and Technology etc.

(c) Administrative set up of university-

(i) Officers and Authorities of universlty - Their roles and functions. Roles and functions of various bodies, like, Coordination Committee, Executive Council, Academic Council and its Standing Committee, Board of Studies, Examination Committee, Result Committee and Research Degree Committee.

(ii) Use of Computers in University Administration and Accounts. Concepts, like, Paperless office, E-Governance and E-Commerce, Awareness of Tally.

(6) **Finance and Budget**

(a) Finance- Concept and significance of financial control, Public Accounts Committee, Accounts and Audit, Residential Senior

Auditor (RSA),Corpus fund, Maintenance Grants, Annual Report, Awareness of Technical terms, like, Cash Book, Bill, Voucher.

(b) Budge- Concepts and Forms, Formulation and Execution of Budget, Budget Process and its role, Performance budgeting, Budget Debate and Public Debt.